पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र.3
PM SHRI Kendriya Vidyalaya No.3
सागर, जबलपुर संभाग
Sagar, Jabalpur Region
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय
Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India
सीबीएसई संबद्धता संख्या : 1000079 सीबीएसई विद्यालय संख्या : 54139

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

विद्यालय प्रबंध समिति बैठक

20-08-2026

बैठक का कार्यवृत्त

<table>
<tr>
<td>1</td>
<td>विद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की झलकियाँ

बैठक के प्रारंभ में विद्यालय प्राचार्य एवं सदस्य सचिव श्री धर्मेन्द्र भारद्वाज द्वारा पावरपॉइन्ट प्रस्तुति के माध्यम से विद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों से सदस्यों को अवगत कराया गया।</td>
<td>सदस्यों द्वारा सराहना की गई।</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>विद्यालय प्रबंध समिति की पिछली बैठक (25.02.2026) के कार्यवृत्त की समीक्षा
<table>
<tr><th colspan="2">सत्र 2026-27 प्रवेश प्रक्रिया</th></tr>
<tr><th>पिछली बैठक का विमर्श एवं निर्णय</th><th>वर्तमान स्थिति</th></tr>
<tr><td>वि.प्र.स. की पिछली बैठक में सदस्यों को सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी।</td><td>सत्र 2026-27 के लिए के.वि.स. के प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया 30-06-2026 को पूर्ण की जा चुकी है।</td></tr>
<tr><th colspan="2">क्षेत्रीय खेलकूद स्पर्धा 2026</th></tr>
<tr><th>पिछली बैठक का विमर्श एवं निर्णय</th><th>वर्तमान स्थिति</th></tr>
<tr><td>के.वि.स. की अप्रैल माह मे होने वाली क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी साझा की गई थी। और प्रतिभागियों के विद्यालय में ठहरने एवं खानपान आदि की व्यवस्था के लिए नियमानुसार व्यय करने का अनुमोदन बैठक मे किया गया था।</td><td>अप्रैल माह मे प्रतियोगिताओं का सफलता पूर्वक आयोजन किया जा चुका है।</td></tr>
</table>
</td>
<td>सदस्यों द्वारा सभी अनुमोदित कार्य पूर्ण करने की सराहना की गई.</td>
</tr>
</table>

अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण

पिछली बैठक का विमर्श एवं निर्णय	वर्तमान स्थिति
1. विद्यालय की कार्यकारी समिति के माध्यम से कुल रुपये 114611/- की अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। 2. इसके अतिरिक्त उपायुक्त के अनुमोदन हेतु 2950818/- रुपए मूल्य की IT सामग्री/उपकरणों के निस्तारण का प्रस्ताव वि.प्र.स. से अनुमोदित करवा कर सम्भागीय कार्यालय को भेजा जाना ते किया गया था।	1. सभी सामग्री के.वि.स. की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निस्तारित कर दी गई है। 2. आईटी उपकरणों के निस्तारण का प्रस्ताव सम्भागीय कार्यालय को भेजा गया था जहां से हाल ही मे स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है। अब इन उपकरणों के अंतिम रूप से (पंजीकृत e-Waste Disposal संस्था के माध्यम से निस्तारित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

विद्यालय स्तरीय क्रय समिति (2026-27)

पिछली बैठक का विमर्श एवं निर्णय	वर्तमान स्थिति
के.वि.स. लेख संहिता के अनुच्छेद 173 के अनुसार विद्यालय स्तरीय क्रय समिति के गठन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था।	यह क्रय समिति अपना कार्य सुचारु रूप से कर रही है।

विद्यालय कार्यकारी समिति (VEC) (2026-27)

पिछली बैठक का विमर्श एवं निर्णय	वर्तमान स्थिति
के.वि.स. लेख संहिता के अनुच्छेद 32 के अनुसार **विद्यालय कार्यकारी** समिति के गठन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था।	यह क्रय समिति अपना कार्य सुचारु रूप से कर रही है।

संविदा शिक्षकों हेतु साक्षात्कार	
पिछली बैठक का विमर्श एवं निर्णय	**वर्तमान स्थिति**
वि.प्र.स. द्वारा दिनांक 11 मार्च 2026 को चल-साक्षात्कार का अनुमोदन किया गया था।	साक्षात्कार प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करवा कर सत्र 2026-27 के लिए संविदा शिक्षकों का पैनल तैयार कर लिया गया एवं रिक्त पदों पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति पैनल से की गई है।
राजघाट जल कनेक्शन प्रस्ताव	
पिछली बैठक का विमर्श एवं निर्णय	**वर्तमान स्थिति**
विद्यालय की बोरिंग मे पानी उपलब्ध न होने के कारण नगर निगम से राजघाट लाइन के माध्यम से जल कनेक्शन लेकर कबीर पार्क में वाटर पम्प लगाकर पानी को विद्यालय तक लिफ्ट करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था।	यह कार्य पूर्ण हो चुका है और इससे कुछ मात्रा में जल की आपूर्ति हो पा रही है।
वार्षिकोत्सव (अप्रैल 2026)	
पिछली बैठक का विमर्श एवं निर्णय	**वर्तमान स्थिति**
अप्रैल के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में वार्षिकोत्सव एवम् पुरुस्कार वितरण समारोह क़े आयोजन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था।	वार्षिकोत्सव का आयोजन 17 अप्रैल 2026 को करवा लिया गया है।
गृह परीक्षा एवं CBSE बोर्ड परीक्षा	
पिछली बैठक का विमर्श एवं निर्णय	**वर्तमान स्थिति**
विद्यालय में बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी-30 मार्च 2026, अन्य कक्षाओं की परीक्षा 23 फरवरी-20 मार्च 2026 के आयोजन की जानकारी दी गई थी।	ये परीक्षाएं सफ़लतापूर्वक सम्पन्न करवाई गईं।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="2">पीएम श्री व्यावसायिक प्रयोगशाला (Vocational Lab) कार्य की स्थिति</th></tr>
<tr><th>पिछली बैठक का विमर्श एवं निर्णय</th><th>वर्तमान स्थिति</th></tr>
<tr><td>सदस्यों को अवगत कराया गया था कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत विद्यालय में व्यावसायिक प्रयोगशाला (vocational lab) का CPWD द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।एवं विद्युत फिटिंग और अन्य आंतरिक installation का कार्य बचा हुआ है।इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा CPWD member को निर्देश दिया गया था कि वे शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं।</td><td>CPWD द्वारा इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।</td></tr>
</table>
</td>
<td>वोकैशनल लैब के निर्माण के संबंध मे CPWD को कार्य शीघ्रता से सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>विद्यालय में प्रार्थना सभा स्थल से प्राथमिक विभाग की ओर पेवर ब्लॉक/ पहुँच मार्ग का निर्माण

विद्यालय में उपलब्ध पीएम श्री फंड एवं विद्यालय विकास निधि फंड से विद्यालय भवन के बाहर मैदान में एक स्टेज एवं एक प्रार्थना सभा स्थल (पेवर ब्लॉक) का निर्माण गत डॉ वर्षों में करवाया गया है। बाहरी प्रार्थना स्थल से प्राइमरी विभाग तक पहुँच का मार्ग कच्चा होने के कारण बरसात के दिनों मे उपयोगी नहीं रहता इसलिए एक पहुँच मार्ग पेवर ब्लॉक के माध्यम से निर्मित किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य की लागत लगभग 217360/- रुपये आने की संभावना है। के.वि.स.लेखा संहिता अध्याय 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा छोटे निर्माण (Petty Construction) पर व्यय की सीमा 4 लाख रुपये प्रतिवर्ष है। अतः विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष इस निर्माण के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा जाता है।</td>
<td>प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।</td>
</tr>
</table>

4	**विद्यालय भवन के बाहर खेल मैदान के पास प्रसाधन/टॉइलेट का निर्माण।** विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों जैसे खेल कूद आदि के दौरान जब विद्यार्थी बाहर खेल मैदान में एकत्रित होते हैं, तो उन्हें वहां बार-बार washroom या toilet जाने की आवश्यकता होती है। Washroom भवन के अंदर होने के कारण कई बार सुरक्षा कारणों से या अन्य कारणों से उन्हें अंदर भेजना संभव नहीं होता और इस स्थिति में विद्यार्थियों को भी असुविधा होती है। अतः प्रस्ताव है कि विद्यालय भवन के बाहर खेल मैदान के पास एक toilet complex का निर्माण करवाया जाए जिससे विभिन्न गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों को भवन के अंदर भेजने की आवश्यकता न रहे। इस कार्य के लिए करवाए गए survey के अनुसार कार्य की कुल लागत लगभग ₹2,59,200 आने की संभावना है। परंतु approach road और toilet दोनों बनाने पर जो कुल व्यय आता है, वह विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा अनुमोदन किये जा सक्ने वाले व्यय ₹4 लाख की सीमा से अधिक है। अतः यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखा जाता है कि यदि दोनों कार्यों की कुल लागत ₹4 लाख रुपए तक रहे तो toilet का निर्माण भी करवा लिया जाए।	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**
5	**खेल मैदान में ऐथलेटिक गतिविधियों - हाई जम्प, लॉग जम्प, एवं थ्रो आदि के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण.** विद्यालय के खेल मैदान में विभिन्न एथलेटिक गतिविधियों जैसे high jump, long jump एवं throw आदि के लिए आवश्यक सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है।	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**
6	**Traffic Park एवं Children's Park का विकास** विद्यालय में प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए एक ट्रैफिक पार्क और एक चिल्ड्रन पार्क है, परंतु इसे और अधिक विकसित किए जाने की आवश्यकता है। समिति के समक्ष यह प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा खेल सुविधाओं पर व्यय की अनुमोदन सीमा ₹2,50,000 है। अतः बिन्दु संख्या 5 और 6 में वर्णित इन सुविधाओं के निर्माण पर लगभग ₹2,50,000 खर्च आने की संभावना है। अतः इस कार्य का अनुमोदन किया जा सकता है।	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**

7	**खेल मैदान में water purifier सह water cooler का installation।** विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान के पास water purifier सह water cooler का installation की आवश्यकता महसूस होती है। अतः यह प्रस्ताव रखा जाता है कि एक water purifier सह water cooler क्रय कर विद्यालय के खेल मैदान के पास स्थापित करवाया जाए। इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग 1,30,000 रुपए आने की संभावना है। के.वि.स.लेखा संहिता अध्याय 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा अन्य Fixed Assets के क्रय किए जाने की सीमा ₹4 लाख है। अतः इस कार्य का अनुमोदन किया जा सकता है।	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**
8	**शिक्षक आवास का रखरखाव** विद्यालय परिसर में उपलब्ध शिक्षक आवास की maintenance एवं repairing की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए समय-समय पर केंद्रीय विद्यालय संगठन से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस maintenance कार्य का अनुमोदन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**
9	**विद्यालय भवन में Centralized Public Announcement System की Purchase एवं installation** विद्यालय भवन में किसी भी प्रकार का केंद्रीकृत public announcement system उपलब्ध नहीं है। विभिन्न गतिविधियों के दौरान इस तरह के announcement system की आवश्यकता महसूस होती है। विद्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से भी इस तरह का announcement system आवश्यक होता है। विद्यालय में एक केंद्रीकृत public announcement system स्थापित करवाने की अनुमानित लागत लगभग ₹2,50,000 है। । के.वि.स.लेखा संहिता अध्याय 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा अन्य Fixed Assets के क्रय किए जाने की सीमा ₹4 लाख है। यह कार्य विद्यालय विकास निधि द्वारा अथवा पीएम श्री फंड में उपलब्ध धनराशि द्वारा संपन्न कराए जाने का अनुमोदन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**

10	**विद्यालय में Toilets और Drinking Water Point का रख रखाव कार्य।** विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध टॉयलेट्स और drinking water point के रखरखाव की अत्यधिक आवश्यकता है।यह कार्य विकास निधि में उपलब्ध रखरखाव राशि से करवाया जा सकता है।समिति के समक्ष यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**
11	**विद्यालय विकास निधि बजट का अनुमोदन** केन्द्रीय विद्यालय संगठन लेखा संहिता (Accounts Code) के अनुच्छेद(Article) 55 से 57 एवं चैप्टर 21 के अनुसार विद्यालय विकास निधि (जो विद्यार्थियों से शुल्क के एक भाग के रूप में प्राप्त होती है) बजट बनाकर विद्यालय प्रबंध समिति से अनुमोदन प्राप्त कर सम्भागीय कार्यालय में उपायुक्त के अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का VVN Budget विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**
12	**Smart Class हेतु नए Touch Panels का क्रय।** पिछले वर्ष किए गए निस्तारण के बाद विद्यालय में वर्तमान में केवल 12 ई-क्लासरूम ही शेष रह गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के संचालन में शिक्षक कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः विद्यालय हेतु कम से कम 05 स्मार्ट टच पैनल क्रय किए जाने के प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदित करने तथा इस क्रय के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सम्भागीय कार्यालय को प्रेषित करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**
13	**PM SHRI योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से विद्यालय मे विभिन्न सामग्री/सेवाओं के क्रय का अनुमोदन।** केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय के पत्रांक F.11-Acad/029(Misc)/2026-27/0013 दिनाँक 30-06-2026 अनुसार पीएम श्री योजना के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 3 सागर को वर्ष 2026-27 के लिए कुल रुपये 34.91 लाख की राशि स्वीकृत हुई है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पिलर के अंतर्गत संलग्न विवरण के अनुसार मदवार विभिन्न गतिविधियों एवं अवसंरचनात्मक सामग्री एवं सेवाओं के क्रय पर व्यय किया जाना है। यह राशि अलग अलग किश्तों में प्राप्त होगी। विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष इस राशि के निर्धारित (संलग्न विवरण अनुसार) व्यय के अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत है।	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

14	**बालवाटिका हेतु आया की नियुक्ति** केंद्रीय विद्यालय में संचालित बालवाटिका-3 कक्षा हेतु बच्चों की देखभाल हेतु एक आया की नियुक्ति नियमानुसार की जाती है। यह नियुक्ति Gem portal के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर की जाएगी। इस वर्ष हेतु आया की नियुक्ति के लिए समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।	**प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**
15	**अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**	

बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंध समिति
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र.3
सागर

समिति अध्यक्ष
वि.प्र.स., पीएम. श्री के.वि. 3
सागर

प्राचार्य
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र.3
सागर

प्राचार्य/Principal
पी.एम.श्री के.वि. क्र.3, सागर
P.M. SHRI K.V. No.3, Sagar (M.P.)